न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

विमला देवी बनाम ख्यालीराम आदि

प्रकरण का प्रकार प्र0 पत्र आदेश 41 नियम 21 सीपीसी क्रमांक 2013/00155 (05/2013)

आदेश दिनाक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एव दिनांक
5-4-21	पत्रावली आदेश 41 नियम 21 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र पर आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 54, 55/अपीलाण्ट ने माननीय सहायक कलक्टर संगरिया के निर्णय दिनांक 06.06.2005 व डिक्री दिनांक 13.06.2005 प्रकरण संख्या 45//2001 के विरूद्ध अपील अनवानी गोपाल आदि बनाम ख्यालीराम आदि प्रस्तुत हुई जो अपील संख्या 61/2006 पर दर्ज हुई। अपीलाण्ट के नाम जो नोटिस 21.03.2007 की पेशी के जारी हुए उस पेशी को नोटिस सायला के जेठ को प्रति दिये जाने का अंकन है परन्तु नोटिस पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह किस है ये अंकित नहीं है। नोटिस पर अंकित अंगूठा निशानी की पहचान किसने की दर्ज नही है जबकि सायला का पति सबसे बड़ा भाई था तथा सायला का कोई जेठ नही है माननीय न्यायायल द्वारा प्रार्थीया की तामील विधिवत तामील नही होने के कारण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश नहीं दिये गये वैसे भी प्रार्थीया अपने पति के साथ सन 2002 से रह रही था तथा अपने ससुर से अलग रहती है इस की ताईद हेतु प्रति राशन कार्ड प्रस्तुत की है। दिनांक 24.03.2007 को जारी सम्मन पर दिनांक 01.05.2007 की पेशी का नोटिस दिनांक 24.03.2007 को जारी किया गया है इस पर रिपोर्ट है कि सायला के ससुर को एक प्रति दी जाकर इत्तिला दी गई स्वेच्छा से गुरदयाल ने सम्मन की प्रति प्राप्त की'' जबकि प्रार्थी सन 2002 से पूर्व से ही अपने ससुर से अलग रह रही थी। प्रार्थना–धीन आदेश दिनांक 24.10.2011 कतई गलत एवं विधि विरूद्ध है। अतः विलम्ब क्षमा कर प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जावे एवं निर्णय दिनांक 24.10.2011 को अपास्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अप[illegible] में कथन कियाकि पत्रावली में नोटिस संलग्न [illegible] के ससुर को एक प्रति [illegible] इत्तला दी [illegible] स्वेच्छा से गुरदयाल ने सम्मन की प्रति प्राप्त की है। प्रार्थी की तामील विधि सम्मत हुई है। प्रार्थी ने मि[illegible] कथन किये हैं। प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मूल अपील संख्या 61/2006 गोपाल	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.09 14:57:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner

बनाम ख्यालीराम में प्रार्थीया विमला देवी के दो सम्मन उपलब्ध है जिसमें प्राथम सम्मन जिसमें तारीख पेशी 21.03.2007 अंकित है वह उसकी पुस्त पर "सायला के जेठ को नोटिस की एक प्रति दि गई है" अंकित है। प्रार्थीया का कथन है कि उसका कोई जेठ नहीं है। लेकिन दूसरा एक अन्य सम्मन दिनांक 01.05.2007 की पेशी का है जिस पर सायला के ससुर को एक प्रति दिये जाने एवं स्वेच्छा से गुरदयाल द्वारा प्रति लिये जाने का अंकन है। साथ ही "इतिला दी गई" अंकित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है उसे सम्मन तामील नहीं करवाये गये। विधि अनुसार सम्मन तामील करवाये जाकर प्रार्थना–पत्राधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः प्रार्थीया का आदेश 41 नियम 21 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना–पत्र निर्णित शुमार एवं दाखिल दफ्तर हो।

5/4/21

राजस्व अपील प्राधिका
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.09.09 14:57:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner